भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 3412

जिसका उत्तर15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

संभार तंत्रकंपनियों को ऋण प्रदानकरना

3412. श्रीके॰ नवासखनीः

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नई संभार तंत्रनीति घोषित किए जाने के बावजूद भी संभार तंत्रकंपनियों को ऋण प्राप्तकरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संभार तंत्रकंपनियों को सुगम और शीघ्र ऋण प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीअनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): वाणिज्य विभाग से प्राप्तसूचना के अनुसार, राष्ट्रीयलॉजिस्टिक नीति मसौदा चरण में है। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय राष्ट्रीयशिपओनर्ससंघ ने बैंकों से प्राप्तहोने वाले वित्तपोषणके वर्तमानस्रोतोंके पूरक के रूप में प्रतिस्पर्धीऔर दीर्घावधि वित्तीयसहायता प्रदानकरने और अलग-अलग उप-क्षेत्रोंके लिए यथोचित वित्तपोषणयोजनाएं तैयार करने हेतु समुद्री विकास निधि स्थापित करने की मांग की है और इसके संबंध में शेयरधारकों के साथ चर्चाकी गई है।

बैंक लॉजिस्टिक कंपनियों सहित व्यवसायों को अपनी बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों के संबंध में सार्वजनिकक्षेत्रके बैंकों ने सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है।

*****